518

GREEN VATIKA

VILLAGE
NANGAL JAISH
BOHRA

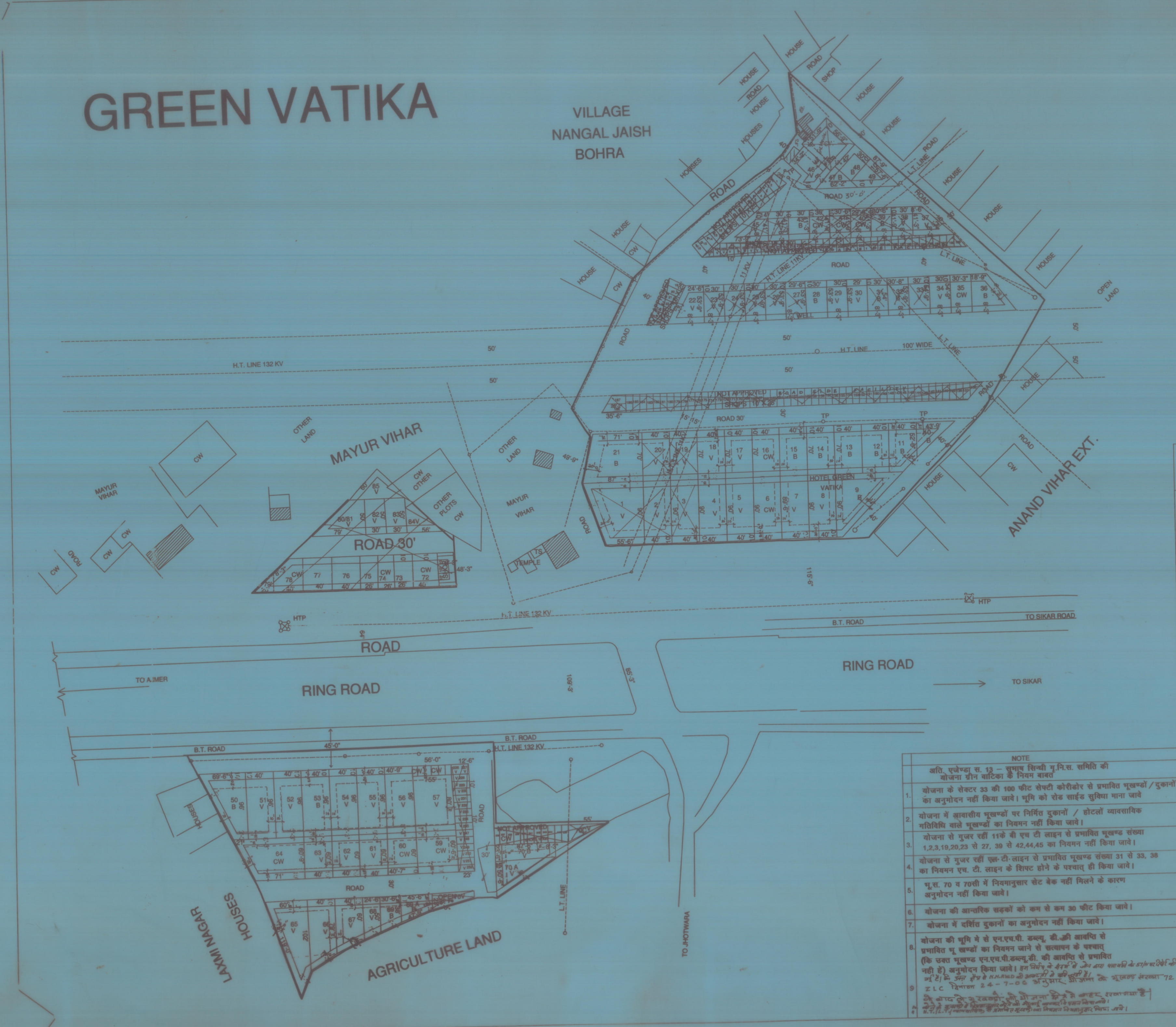
HOUSE
HOUSES
ROAD
SHOP
L.T. LINE
OPEN LAND
ROAD 30'-0"
H.T. LINE 132 KV
H.T. LINE 100' WIDE
50'
NOT APPROVED SHOPS
ROAD 30'
HOTEL GREEN VATIKA
OTHER LAND
MAYUR VIHAR
ROAD 30'
TEMPLE
CW
ANAND VIHAR EXT.
HTP
L.T. LINE 132 KV
B.T. ROAD
TO SIKAR ROAD
ROAD
TO AJMER
RING ROAD
TO SIKAR
TO JHOTWARA
LAXMI NAGAR
HOUSES
AGRICULTURE LAND
B.T. ROAD
H.T. LINE 132 KV.

J D A

LOCATION PLAN
AS PER MASTER PLAN/SECTOR PLAN
मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार कर उपयोग
भूखण्ड की निर्माण स्थिति :-

			आवासीय	व्यावसायिक	SHOPS
1.	पूर्ण / आंशिक निर्मित भूखण्ड	B	20		221
2.	चार दीवारी निर्मित भुखण्ड	C.W.	9		
3.	खाली भूखण्ड	V	45		
	कुल भूखण्ड	T	74		

मोके के अनुसार योजना का भू उपयोग व तकनिकी विश्लषण

कमांक	भू उपयोग	क्षेत्रफल	प्रतिशत
1.	आवासीय	21049.84 SQYDS	51.33%
2. SHOPS ROAD	व्यावसायिक NOT APPROVED SIDE FACILITY	4066.22 SQYDS	9.91%
3.	सडक	15900.10 SQYDS	38.36%
4.	सुविधा क्षेत्र	00 SQYDS	0%
	कुल	41016.16 SQYDS	100%

योजना की मौके जाँच सर्वेक्षण एवं मास्टर विकास योजना 2011 की सड़कों भू–उपयोग एवं क्षेत्रफल इत्यादि से संबंधित पूर्ण जाँच कर स्थिति योजना मानचित्र मे अंकित की गई है।

नगर नियोजक / वास्तुविद/अभियन्ता का नाम

हस्ताक्षर / रजिस्ट्रेशन नं.

योजना की भूमी की रा.भू.रा. अधिनियम की धारा 10 बी की कार्यवाही एवं मौके पर भूमि का प्रमापीकरण मेरे द्वारा किया गया योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।

नाम
तहसीलदार

नाम
उपायुक्त जोन - 6

बी.पी.सी. / जी.एल.सी. की बैठक संख्या 97 दिनांक 25.8.06 की अनूपालना में योजना मानचित्र स्वीकृत कर जारी किया गया

NAME OF SOCIETY :-	SUBHASH SINDHI HOUSING CO. - OPE.
NAME OF SCHEME :-	GREEN VATIKA
ZONE NO.6 :-	SECTOR NO. 33/46
SCALE: 1" = 50'	DRG NO.

A.T.P. ZONE	D.T.P.	S.T.P.

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY JAIPUR

	NOTE
	अति. एजेण्डा स. 13 – सुभाष सिन्धी गृ.नि.स. समिति की योजना ग्रीन वाटिका के नियम बाबत
1.	योजना के सेक्टर 33 की 100 फीट सेफ्टी कोरीडोर से प्रभावित भूखण्डों/दुकानों का अनुमोदन नहीं किया जावे। भूमि को रोड साईड सुविधा माना जावे
2.	योजना में आवासीय भूखण्डों पर निर्मित दुकानों / होटलों व्यावसायिक गतिविधि वाले भूखण्डों का नियमन नहीं किया जावे।
3.	योजना से गुजर रहीं 11के बी एच टी लाइन से प्रभावित भूखण्ड संख्या 1,2,3,19,20,23 से 27, 39 से 42,44,45 का नियमन नहीं किया जावे।
4.	योजना से गुजर रहीं एल·टी·लाइन से प्रभावित भूखण्ड संख्या 31 से 33, 38 का नियमन एच. टी. लाइन के शिफ्ट होने के पश्चात् ही किया जावे।
5.	भू.स. 70 व 70सी में नियमानुसार सेट बेक नहीं मिलने के कारण अनुमोदन नहीं किया जावे।
6.	योजना की आन्तरिक सड़कों को कम से कम 30 फीट किया जावे।
7.	योजना में दर्शित दुकानों का अनुमोदन नहीं किया जावे।
8.	योजना की भूमि मे से एन.एच.पी. डब्ल्यू. डी. की आवप्ति से प्रभावित भू खण्डों का नियमन जाने से सत्यापन के पश्चात् (कि उक्त भूखण्ड एन.एच.पी.डब्ल्यू.डी. की आवप्ति से प्रभावित नही हैं) अनुमोदन किया जावे। इस निर्णय के सैदर्भ में जोन द्वारा [illegible] के 57/N पर रिपोर्ट की गई है। कि उक्त क्षैत्र से N.H.P.W.D की अवाप्ती मे [illegible] नहीं है।
9	भूखण्ड संख्या 72 ZLC दिनांक 24-7-06 अनुसार [illegible] योजना [illegible] से बाहर रखा गया है। [illegible] H.T./L.T./व्यावसायिक से प्रभावित भूखण्डों का नियमन नियमानुसार किया जावे।